

रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सर्वोपयोगी आसक्तों अहयक्ष, इफ्हाहिम करीम खान उपाध्यक्ष रावत खान सहय तथा अन्य के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन पाँच कातला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पाँच कातला पंचायत समिति जैसलमेर पोर 2 ग्राम पाँच कातला जिला जैसलमेर के नाम से स्वीकृत किया गया था उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 14-7-92 को क्रमांक 41061/अ पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उपनियमों के द्वारा 1965 रजिस्ट्रेशन किया गया।

रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र श्री गौहर से हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 14-7-92 को जारी किया गया।

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ, जैसलमेर

सहायक रजिस्ट्रार

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ, जैसलमेर
कोड सं० 014/01
पत्र संख्या-38